### <u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील</u> चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

<u>दांडिक प्रकरण क.- 442/11</u> <u>संस्थित दिनांक- 22.09.11</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. भज्जू पुत्र मुन्ना रैकवार उम्र 25 वर्ष
- 2. रामसिंह पुत्र मुन्ना रैकवार उम्र 35 वर्ष
- 3. अत्तू पुत्र मुन्ना रैकवार उम्र 30 वर्ष निवासीगण— ग्राम सकवारा तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

# -: <u>निर्णय</u> :-

## (आज दिनांक 10.02.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 13.08.11 को रात्रि करीब 9 बजे फरियादी गोविंदी के मकान के सामने ग्राम सकवारा में लोक स्थान पर फरियादी को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर क्षोभ कारित किया व फरियादी को सदोष अपरोध कारित कर सामान्य आशय निर्मित किया और उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में गोविंदी को धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—13.08.11 को फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 अपने मकान के सामने रास्ते पर खडा होकर अपने दामाद हरदयाल से बातचीत कर रहा था, तभी अभियुक्तगण वहा आये और उसे मादरचौद, बहनचौद की गालियां देकर उसके सामने जाने का रास्ता रोककर खडे हो गये और बोले की हम लोग तेरे मकान के पास की बागड तोड—तोड कर परेशान है कि तू बार—बार बागड कर लेता है। इसी बात पर रामसिंह ढीमर ने फरियादी के सिर में पीछे की ओर से कुल्हाडी मारी इससे खून निकल आया तथा भज्जू ढीमर ने पीठ में एक लाठी मारी जिससे मुंदी चोट आई। तीनों अभियुक्तगण ने फरियादी को जमीन पर पटक लिया और उसके साथ

मारपीट की जिसके बाद मौके पर हरदयाल पाल और हरबन आदिवासी ने बीचवचाव किया। घटना दिनांक रात्रि होने से फरियादी ने दूसरे दिन हरदयाल साथ आकर पुलिस थाना चंदेंरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध कमांक—350/11 अंतर्गत धारा—341, 294, 323/34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—28.04.16 को फरियादी के द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्तगण को भा0द0वि0 की धारा—294, 341 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा0द0वि0 की धारा—324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निदोष है उसे झूठा फसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
  - 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक—13.08.11 को रात्रि 09.00 बजे फरियादी गोविंदी के मकान के पास में ग्राम सकवारा में सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की ?
  - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

## <u>—ः: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

06— फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि घटना लगभग दो साल पहले की रात के 09.00 बजे की है। आरोपीगण ने उसकी बागड पटा डाली थी, उसके साथ कुल्हाडी व लाठी से मारपीट की थी, जिससे उसके सिर में व शरीर में चोटें आई थी। फरियादी के अनुसार घटना के समय उसका दामाद हरदयाल व बिटिया प्रेम मौके पर मौजूद थे तथा हरबन आदिवासी भी मौके पर मौजूद था। हरदयाल अ0सा0—4 जो कि फरियादी का दामाद है, ने अपने न्यायालीन कथनों में हालांकि अभियोजन घटना का पूरी तरह से समर्थन नहीं किया है, परंतु इस साक्षी ने अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 के द्वारा

न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि में कथन दिये हैं, कि घटना जो कि तीन चार साल पहले की होकर रात्रि करीबन आठ बजे की थी, उस समय वह अपने ससुर गोविंदी अ0सा0—1 के यहा आया था। इस साक्षी ने फरियादी के इन कथनों की भी पुष्टि की है कि घटना में बागड तोडने के ऊपर से आरोपीगण व फरियादी का विवाद हो गया था।

- 07— यहां यह उल्लेखनीय है, कि विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि पक्ष विरोधी साक्षियों के साक्ष्य पूरी तरह से नकारी नहीं जा सकती, इन साक्षियों की साक्ष्य जितनी की अभियोजन कहानी का समर्थन करती हो, पर विश्वास किया जा सकता है। हरदयाल अ0सा0—4 ने अपने न्यायालीन कथनों में निश्चित रूप से गोविंदी अ0सा0—1 के साथ अभियुक्तगण द्वारा की गई मारपीट के संबंध में कोई कथन न देकर अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया, परंतु यह साक्षी फिरयादी के कथनों की पुष्टि करते हुए स्वयं की घटना स्थल पर उपस्थिति बताता है तथा इस बात का समर्थन करता है कि बागड तोडने पर से आरोपीगण का फिरयादी से विवाद हुआ था। इस साक्षी के उपरोक्त कथनों को बचाव पक्ष के द्वारा लेषमात्र भी चुनौती नही दी गई, जिससे इस साक्षी के मुख्य परीक्षण में दिये गये उपरोक्त कथन उसके प्रतिपरीक्षण में भी अखण्डित रहें। हरदयाल अ0सा0—4 के उपरोक्त कथनों से फिरयादी के द्वारा बताई घटना की भी पुष्टि होती है कि बागड तोडने पर से रात्रि करीबन 09.00 बजे अभियुक्तगण ने फिरयादी से विवाद किया था।
- 08— गोविंदी अ0सा0—1 अपने मुख्य परीक्षण में घटना का माह और वर्ष को लेकर निश्चितरूप से कोई स्पष्ट कथन नहीं दिये परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह स्पष्ट किया है कि घटना के समय पानी बरस रहा था और घना अंधेरा था। फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 ने स्पष्ट रूप से अपने न्यायालीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा बागड तोडने पर से विवाद करना बताया है, जिसके संबंध में इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन भी अखण्डित हैं तथा इस साक्षी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 एवं हरदयाल अ0सा0—4 के कथनों से भी होती है। अतः अभिलेख पर फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 व हरदयाल अ0सा0—4 की साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को रात्रि 09.00 बजे अभियुक्तगण ने फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 के साथ बागड तोडने पर से विवाद किया था।
- 09— फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण ने उसकी बागड पटा डाली थी। उसके साथ मारपीट की थी। इस साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अभियुक्तगण ने कुल्हाडी व लाठी से उसके साथ मारपीट की थी जिससे उसके एक चोट सिर में एवं शरीर में आई थी। चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर. पी. शर्मा अ0सा0—3 के द्वारा घटना के दूसरे दिन दिनांक—14.08.11 को गोविंदी अ0सा0—1 का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। डाक्टर आर. पी. शर्मा अ0सा0—3 ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक— 14.08.11 को जब उनके द्वारा गोविंदी अ0सा0—1 का परीक्षण

किया गया है, तो गोविंदी के सिर में  $1 \times 1/4 \times 1/4$  आकार का एक फटा हुआ घाव जिसमें खून जमा था, पाया था। डॉक्टर आर. पी. शर्मा अ०सा0-3 ने अपने कथनों में यह स्पष्ट किया है कि गोविंदी अ०सा0 1 के सिर पर पाई गई उपरोक्त चोट चौबीस घण्टे के अदंर की थी, जो साधारण होकर कठोर व मोथरी वस्तु से आना संभव थी। डॉक्टर आर. पी. शर्मा अ०सा0-3 के उपरोक्त कथनों की पुष्टि उनके द्वारा परीक्षण के दौरान तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी0-4 से होती हैं। बचाव पक्ष के द्वारा भी इस साक्षी के कथनों की सत्यता एवं उसके द्वारा तैयार की गई चिकित्सीय रिपोर्ट प्र०पी0-4 को कोई चुनौती नहीं दी गई है।

- 10— अतः डॉक्टर आर. पी. शर्मा अ०सा०—3 की साक्ष्य एवं प्र०पी०—4 की रिपोर्ट से यह प्रमाणित होता है कि फरियादी गोविंदी अ०सा0-1 को थाने पर की गई रिपोर्ट के समय सिर में चोट थी। गोविंदी अ०सा०-1 ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि घटना में उसके सिर में चोट आई थी तथा तीनों अभियुक्तगण ने उसके साथ कुल्हाडी व लाठी से मारपीट की थी। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-5 में अभियुक्त अत्तू ढीमर के संबंध में निश्चायक कथन नही दिये हैं कि उसने लाठी से मारपींट की थें। परंतु अभियुक्त भज्जू के संबंध में इस साक्षी का स्पष्ट कहना है कि भज्जू ने उसकी पीठ में लॉठी मारी थी। इस साक्षी ने अभियुक्त रामसिंह के द्वारा स्पष्ट रूप से कुल्हाडी मारने के संबंध में कोई कथन नहीं दिये हैं पंरत इस साक्षी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-6 में यह कहना है कि उसे होश नहीं है कि कूल्हाडी उसे आगे से मारी थी या पीछे से तथा कूल्हाडी सीधे तरफ से मारी थी या उल्टे तरफ से मारी थी परंतु इस साक्षी की साक्ष्य इस संबंध में अखिण्डत है कि तीनों अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की थी। जिसके संबंध में इस साक्षी में प्रतिपरीक्षण की कण्डिका-12 में स्पष्ट कथन दिये है। इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि सबसे पहले उसे रामसिंह ने मारा था फिर भज्जू ने मारा था, फिर अत्तु ने मारा था।
- 11— घटना में यदि एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा अचानक से हमला किया जाये तो निश्चितरूप से आहत के लिये यह बता पाना किठन होगा कि उसे किस व्यक्ति ने कितनी बार किस किस स्थान पर प्रहार कर उपहित कारित की थी। अतः ऐसे में फिरयादी से भी यह अपेक्षा नहीं कि जा सकती कि वह प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा कितनी बार वह शरीर के किसी स्थान पर उस पर प्रहार किया गया, यह बता सके। फिरयादी का प्रतिपरीक्षण की किण्डिका—12 में यह स्पष्ट कहना है कि कुल्हाडी लगने से वह जमीन पर गिर गया था। उसके बाद उसे पता नहीं है कि किस व्यक्ति ने उसे कहा मारा था। अतः फिरयादी गाविंदी अ०सा0—1 के न्यायालीन कथनों से यह प्रमाणित है कि उसे सिर में आई चोट जिसकी पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डाक्टर आर पी शर्मा अ०सा0—3 की साक्ष्य से होती है, अभियुक्तगण द्वारा घटना में कारित की गई।
- 12— फरियादी गोंविंदी अ0सा0—1 के कथनों में निश्चित रूप से बचाव पक्ष घटना के स्थान के संबंध में विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल रहा है. गोविंदी अ0सा0—1 ने

निश्चित रूप से अपने मुख्यपरीक्षण में घटना बाखर के अंदर होना बताया है तथा प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—7 में झगडा घर के अंदर का होना बताया है, परंतु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—8 में यह स्पष्ट किया है कि पहले वह रास्ते पर था जब आरोपीगण ने उसकी बागड तोड दी तो वह घर के अंदर आ गया था और फिर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की थी। निश्चित रूप से इस पूरी घटना का उल्लेख प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है जो कि उल्लेख किया जाना भी संभव नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना की सूचना मात्र होती है जिस में घटना का पूरा वृतान्त होना आवश्यक नहीं है। यह संभव भी नही है कि घटना जिस कम घटित हुई उसकी हुबहू नकल फरियादी प्रथम सूचना रिपोर्ट में बता सके या कथनों बता सके। अतः ऐसे में घटना के स्थान को लेकर फरियादी के कथनों में उत्पन्न हुआ विरोधाभाष तात्विक नहीं माना जा सकता। जिससे फरियादी गोविंदी अ0सा0—1 की संपूर्ण साक्ष्य को संदेह की दृष्टि से देखा जा सके।

- 13— घटना के संबंध में हरबन अ०सा०—2 ने जहां अपने न्यायालीन कथनों में घटना की जानकारी होने से ही इंकार किया है वहीं हरदयाल अ०सा०—4 ने भी अपने कथनों में यह व्यक्त किया है कि उसके सामने गोविंदी को अभियुक्त रामिसंह ने कुल्हाड़ी से नहीं मारा यह यदि आगे पीछे मारा हो तो उसे मालूम नहीं। इन साक्षियों के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देना का एक कारण निश्चित रूप से प्रकरण में हुए राजीनामें के कारण हो सकता हैं, परंतु अभिलेख पर अन्य साक्षियों की साक्ष्य मात्र इन साक्षियों के अभियोजन को समर्थन न करने से अविश्वनीय नहीं हो जाती हैं। गोविंदी अ०सा०—1 व हरदयाल अ०सा०—4 के कथन इस संबंध में अखण्डित है कि बागड तोडने पर घटना दिनांक को करीब रात ०९.०० बजे अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था। अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ विवाद किया था। अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ कुल्हाड़ी व लाठी से मारपीट की जिसमें कुल्हाड़ी लगने से उसके सिर में चोट आई इस संबंध में गोविंदी अ०सा०—1 की साक्ष्य पूरी तरफ से विश्वसनीय हैं। चिकित्सीय साक्ष्य से घटना में गोविंदी अ०सा०—1 को आई चोट की पृष्टि होती है।
- 14— जहां तक डॉक्टर आर. पी. शर्मा अ०सा०—3 का यह कहना है कि चोट कठोर एवं मोथरी वस्तु से कारित होना संभव थी। तो उक्त कथन इस साक्षी का अभिमत मात्र है। प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में सिर में कुल्हाडी से चोट पहुचाया जाना लेखबद्ध कराया गया है तथा फरियादी ने भले ही अभियुक्त रामसिंह के द्वारा कुल्हाडी से उपहित कारित करने के संबंध में सीधे तौर पर स्पष्ट कथन नहीं दिये है परंतु उसके साथ कुल्हाडी व लाठी से मारपीट की गई इस संबंध में इस साक्षी की साक्ष्य अखण्डित है तथा फरियादी गोविंदी अ०सा०—1 का प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—12 में स्पष्ट रूप से यह कहना है कि सबसे पहले उसे रामसिंह ने मारा था और कुल्हाडी मारने पर वह जमीन पर गिर पड़ा था और उसके बाद उसे पता नही है कि किस व्यक्ति ने कहां मारा। जिससे यह प्रमाणित है कि तीनों अभियुक्तगण ने मौके पर बागड तोडने पर से विवाद किया और उस विवाद में रामसिंह ने कुल्हाडी से फरियादी को सिर में उपहित कारित की। जो उनके द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया कृत्य प्रमाणित करता है।

- 15— जहां तक चिकित्सीय रिपोर्ट में डाक्टर आर. पी. शर्मा अ०सा०—3 के द्वारा दिये गये अभिमत का संबंध है तो यह उल्लेख करना उचित होगा कि भा०द०वि० धारा—324 में विशेष प्रकार के उपकरण से उपहित कारित करने का उल्लेख है न कि उपहित की रीति का। अतः यदि कुल्हाडी से फरियादी को फटा हुआ घाव भी सिर पर कारित हुआ है तो मारपीट में उपयोग की गई कुल्हाडी एवं उससे कारित की गई उपहित का अपराध धारा—324 की परिधि में ही आयेगा। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत न्यायिक दृष्टांत केरल राज्य बनाम हरिदासन 1978 किमिनल लॉ जर्नल 1204 में प्रतिवादित न्यायमत पर आधारित है जिसमें माननीय केरल उच्च न्यायालय ने यह अभिमत दिया की फरसे से कारित फटे हुए घाव (लेसिरेटेड) की उपहित के लिए धारा—324, भा०द०स० में ही दण्ड दिया जाएगा, जबिक इसका तेज धार वाला भाग प्रयुक्त नहीं हुआ है।
- 16— अभियोजन की ओर से प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी सहायक उपनिरीक्षण प्रेमनारायण अ0सा0—5 के कथन न्यायालय में कराये गये जिसमें इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में कुल्हाडी जप्त नहीं की। बचाव पृक्ष का तर्क में यह कहना है कि प्रकरण में कुल्हाडी जप्त नहीं है तथा चिकित्सीय परीक्षण में पाई गई चोट सत्य एवं मोथरी हथियार की है। जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाये। प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा भले ही विवेचना में कुल्हाडी जप्त न करके त्रुटि की हैं। अनुसंधानकर्ता अधिकारी का कही यह कहना नही है कि घटना में कुल्हाडी का प्रयोग नहीं हुआ जबिक गोविंदी अ0सा0—1 की साक्ष्य अखण्डित है कि घटना में उसके साथ कुल्हाडी से भी मारपीट की गई। अतः विवेचक के द्वारा की गई त्रुटि का लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता हैं। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत अमर सिंह बनाम बलविंदर सिंह ए आई आर 2003 एस सी 1164 में प्रतिपादित विधि पर आधारित है।
- 17— फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजनयह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक—13.08.11 को रात्रि 09.00 बजे फरियादी गोविंदी के मकान के पास में ग्राम सकवारा में सामान्य आशय निर्मित कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में धारदार हथियार कुल्हाडी से मारपीट कर स्वैच्छया उपहति कारित की।
- 18— फलतः अभियुक्तगण भुज्य पुत्र मुन्ना रैकवार, रामसिंह पुत्र मुन्ना रैकवार, अत्तू पुत्र मुन्ना रैकवार के विरूद्ध भा०दं०वि० की धारा—324/34 के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण भुज्य पुत्र मुन्ना रैकवार, रामसिंह पुत्र मुन्ना रैकवार, अत्तू पुत्र मुन्ना रैकवार को भा०दं०वि० की धारा—324/34 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध किया जाता है।
- 19— अभियुक्तगण की आयु अपराध की प्रकृति परिस्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए

अभियुक्तगण को आपराधिक परीविक्षा अधिनियम के प्रावधान का लाभ दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिये स्थगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

- 20— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्तगण प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है तथा उनका फरियादी से राजीनामा भी हो गया है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का निवेदन किया। अभियुक्तगण को सुने जाने के पश्चात एवं प्रकरण में फरियादी को आई चोट की प्रकृति एवं प्रकरण में हुये राजीनामें को देखते हुए देखते हुये अभियुक्तगण को शिक्षाप्रद दण्ड के रूप में अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उददेश्य की पूर्ति हो सकती है। अतः अभियुक्तगण भण्जू पुत्र मुन्ना रैकवार, रामिसंह पुत्र मुन्ना रैकवार, अत्तू पुत्र मुन्ना रैकवार को भाठदंठिक की धारा—324/34 के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में प्रत्येक अभियुक्त को पृथक—पृथक न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000—1000/— रूपये (एक हजार—एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 21— उपरोक्त सजाये अभियुक्तगण को एक साथ भुग्ताई जावे। अभियुक्तगण की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है। धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)